

पत्रांक: 08 / वि०3-32 / 23.....122

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25/09/2026

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

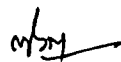
विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना (60:40) के तहत भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में केन्द्रांश मद में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹14,89,06,23,000/- (चौदह अरब नवासी करोड़ छः लाख तेईस हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹9,92,70,82,000/- (नौ अरब बानवे करोड़ सत्तर लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹24,81,77,05,000/- (चौबीस अरब इक्यासी करोड़ सतहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना (60:40) के तहत भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में केन्द्रांश मद में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹14,89,06,23,000/- (चौदह अरब नवासी करोड़ छः लाख तेईस हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹9,92,70,82,000/- (नौ अरब बानवे करोड़ सत्तर लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹24,81,77,05,000/- (चौबीस अरब इक्यासी करोड़ सतहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जानी है।

2. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक-Acctts/238/2026-27-4411, दिनांक-16.09.2026 के माध्यम से समग्र शिक्षा योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module माध्यम से स्वीकृत केन्द्रांश मद से ₹14,89,06,23,000/- (चौदह अरब नवासी करोड़ छः लाख तेईस हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹9,92,70,82,000/- (नौ अरब बानवे करोड़ सत्तर लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹24,81,77,05,000/- (चौबीस अरब इक्यासी करोड़ सतहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये मात्र की व्यय हेतु CFMS के Web-Portal पर आवंटन तथा Virtual Drawing Limit प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना (60:40) के तहत भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में केन्द्रांश मद में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹14,89,06,23,000/- (चौदह अरब नवासी करोड़ छः लाख तेईस



हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹9,92,70,82,000/- (नौ अरब बानवे करोड़ सत्तर लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹24,81,77,05,000/- (चौबीस अरब इक्यासी करोड़ सतहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

4. समग्र शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य के हिस्सेदारी 60:40 है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के माध्यम से किया जाएगा।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना (60:40) के तहत केन्द्रांश मद में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹14,89,06,23,000/- (चौदह अरब नवासी करोड़ छः लाख तेईस हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹9,92,70,82,000/- (नौ अरब बानवे करोड़ सत्तर लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹24,81,77,05,000/- (चौबीस अरब इक्यासी करोड़ सतहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये मात्र राशि का विकलन समग्र शिक्षा योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत उपबंधित राशि से निम्नरूपेण किया जाएगा :-

Sl. No	Budget Code	Subject Head	A/c. Name	Drawing Account Number	उपबंधित राशि (रूपया में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त अंतर्गत विमुक्त की जा रही केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि (रूपया में)
01	21-2202011110201	31-04	RBI, Patna	01585501252	9,70,46,00,000 /-	5,03,17,28,334 /-
		31-05			1,38,64,00,000 /-	14,06,53,333 /-
		31-06			35,12,13,00,000 /-	14,15,55,50,000 /-
02	21-2202017890203	31-04	RBI, Patna	01585501252	2,63,89,00,000 /-	1,26,46,84,583 /-
		31-05			37,70,00,000 /-	3,63,35,000 /-
		31-06			9,55,00,00,000 /-	3,79,40,53,750 /-
03	21-2202017960211	31-04	RBI, Patna	01585501252	8,55,00,000 /-	8,55,00,000 /-
		31-06			30,92,00,000 /-	30,92,00,000 /-
	TOTAL				59,17,29,00,000 /-	24,81,77,05,000 /-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त योजनान्तर्गत संगत मद के विषय शीर्ष में कुल ₹59,18,51,00,000/- (उनसठ अरब अठारह करोड़ इक्यावन लाख) रुपये मात्र राशि का



उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है। उक्त उपबंधित राशि के अंतर्गत ही अधियाचित राशि की व्यय की जा रही है।

6. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4411 दिनांक 16.09.2026 के आलोक में अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा SNA SPARSH Module के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में सभी वित्तीय लेन-देन एवं भुगतान प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए संपादित की जाएगी, ताकि राशि का उपयोग पारदर्शिता एवं नियमानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

SNA SPARSH Module के तहत उपर्युक्त स्वीकृत राशि की व्यय हेतु राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर होने वाली व्यय का विवरणी उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, SNA SPARSH Module के द्वारा राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर व्यय हेतु आवंटन तथा Virtual Drawing Limit प्रदान किया जाएगा।

7. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना की होगी।

8. राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

9. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य परियोजना परिषद, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का विचलन किसी भी अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

11. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका 05 (क) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक 05-10-2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में विभागीय आदेश एवं समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।



14. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या-08/वि०3-32/23 के पृष्ठ-131/टि० एवं दिनांक-25.09.2026 को प्राप्त है।

15. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-08/ वि०3-32/23 के पृष्ठ-129/टि० एवं दिनांक-23.09.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ललन कुमार मंडल)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 08/वि०3-32/23...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 08/वि०3-32/23...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, SNA SPARSH Module /उप निदेशक, योजना कोषांग, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-21/बजट पदाधिकारी, बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा एवं आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 08/वि०3-32/23-1224

पटना, दिनांक 25/09/2026

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

M/SY
25/09/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग